पत्रांक–7/खाद्य–12–01/2017– 167(7)व

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

सिविल सर्जन
पटना (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक –27-3-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड–20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते मदों में कुल ₹ 21,49,510/–(इक्कीस लाख उनचास हजार पॉच सौ दस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आंवटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–08(7)ब दिनांक–15.05.17, 47(7)ब दिनांक–21.08.17, 97(7)ब दिनांक–01.12.17 एवं 145(7)ब दिनांक–21.02.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2017–2018 वेतन भत्ते मदों में कुल ₹ 21,49,510/–(इक्कीस लाख उनचास हजार पॉच सौ दस रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड–20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आयोजना भिन्न में उपबधित राशि से की जायगी ।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002, 379(9) दिनांक–16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

27/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 167 (7) 9 पटना, दिनांक : 27-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड–20.2210061020001 के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	सिविल सर्जन,पटना	840000	1008000	168000	49510	42000	42000	2149510	2028/15.3.18] 1930/13.3.18
	कुल योग:–	**840000**	**1008000**	**168000**	**49510**	**42000**	**42000**	**2149510**	

(इक्कीस लाख उनचास हजार पाँच सौ दस रू0)

ह०/- 27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद

उपबंध की स्थिति–

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	प्रत्यर्पित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001–01–01)	11080000	840000	10240000	840000	11080000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	14577000	1008000	13569000	1008000	14577000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	3500000	168000	3332000	168000	3500000	0
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	206000	49510	156490	49510	206000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	197000	42000	155000	42000	197000	0
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	440000	42000	398000	42000	440000	0
	योग 20-2210.06.102.0001.01 वेतन	**30000000**	**2149510**	**27850490**	**2149510**	**30000000**	**0**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	100000	0	50000	0	50000	50000
8	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	300000	0	300000	0	300000	0
9	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	1100000	0	800000	0	800000	300000
10	विधि प्रभार (0001–13–05)	200000	0	169000	0	169000	31000
11	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	10000	0	10000	0	10000	0
12	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	200000	0	0	0	0	200000
13	सामग्री एवं पूर्तियॉ (0001–21–01)	50000	0	50000	0	50000	0
14	दवा भंडार (0001–21–02)	50000	0	50000	0	50000	0
15	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	300000	0	150000	0	150000	150000
16	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	100000	0	100000	0	100000	0
	कुल योग:–	**32410000**	**2149510**	**29529490**	**2149510**	**31679000**	**731000**

(इक्कीस लाख उनचास हजार पाँच सौ दस रू0)

167(7)9
27-3-18

ह०/- 27/3/18

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद